भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **1832**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022/25 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कीमत में वैश्विक वृद्धि का प्रभाव

1832. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री विजय बघेल:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री अरुण साव:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री सुनील कुमार सोनी:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री मोहन मंडावी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खनिज उर्वरकों के साथ-साथ यूरिया, डीएपी, एमओपी, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और एलएनजी की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास खनिज उर्वरकों के संबंध में आयात पर निर्भरता कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 1 मार्च 2018 की राजपत्र अधिसूचना के जरिये यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) नियत किया गया है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत तथा निवल बाजार वसूली के बीच के अंतर का भुगतान यूरिया विनिर्माता कंपनियों/आयातकों को राजसहायता के रूप में किया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को राजसहायताप्राप्त/सस्ता यूरिया प्रदान किया जा रहा है।

भारत सरकार ने स्थिति का विश्लेषण किया है और पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम के तहत राजसहायता दरें इस प्रकार अधिसूचित की हैं कि अंतरराष्ट्रीय कीमत में वृद्धि का प्रभाव भारत के कृषक समुदाय पर न पड़े और भारतीय किसानों को ये उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जा सकें। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनबीएस स्कीम के तहत राजसहायता दरें निम्नवत हैं:

क्रम. सं.	पोषकतत्व	एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2021 से 19.05.2021 तक)	एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (20.05.2021 से 31.03.2022 तक)	एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2022 से 30.09.2022 तक)	एनबीएस (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.10.2022 से 31.03.2023 तक)
1.	एन	18.789	18.789	91.96	98.02
2.	पी	14.888	45.323	72.74	66.93
3.	के	10.116	10.116	25.31	23.65
4.	एस	2.374	2.374	6.94	6.12

(ख): सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। अपने संशोधन के साथ पठित एनआईपी - 2012 के तहत, कुल 6 नई यूरिया इकाइयों को स्थापित किया गया है। ये मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हैं। इन इकाइयों में प्रत्येक इकाई की यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। अत: इन दोनों इकाइयों ने मिलकर देश की वर्तमान स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी प्रतिवर्ष का योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रतिवर्ष का नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए 28 अप्रैल 2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

स्वदेशी यूरिया उत्पादन को इष्टतम करने के उद्देश्यों में से एक के साथ भारत सरकार ने 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 के कार्यान्वयन से मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाइयों से अतिरिक्त उत्पादन हुआ है जिसके कारण 2014-15 के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन की तुलना में यूरिया के वास्तविक उत्पादन में 20-25 एलएमटीपीए की वृद्धि हुई है।

भारत सरकार ने खनिज उर्वरकों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:-

i. उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, मध्य प्रदेश को 1,20,000 एमटी प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके के उत्पादन की अनुमति दी।

ii. उर्वरक विभाग ने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को जेडएसीएल गोवा संयंत्र की 2 ट्रेनों का उपयोग करके 8 एलएमटी प्रति वर्ष अतिरिक्त डीएपी/एनपीके मिश्रित उर्वरक का निर्माण करने की अनुमति दी।

iii. आरसीएफ, थल को 5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक नये डीएपी/एनपीके संयंत्र की अनुमति दी गई है और एफएसीटी, कोच्चि ने भी 5.5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक डीएपी/एनपीके संयंत्र की योजना बनाई है।

iv. 25.10.2021 से 31.3.2022 तक डीएपी के उत्पादन/आयातों पर 'नो प्रॉफिट/नो लॉस' आधार पर 8000 रु. की सीमा के साथ अतिरिक्त लागत प्रदान की गई है।

v. पीडीएम अथवा शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

vi. एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, पर खरीफ और रबी 2022 के लिए मालभाड़ा राजसहायता लागू की गई है।

vii. खान मंत्रालय, जीएसआई, एमईसीएल, फैगमिल और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत में डीएपी और अन्य उर्वरकों के कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज एक सतत प्रक्रिया है।

****